



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर—थानों रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर के सामने
देहरादून—248008

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in

E- mail: chavanayog@gmail.com

विज्ञापन संख्या: 61/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक: 17 सितंबर, 2024

चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के अन्तर्गत अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, आशुलिपिक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	17 सितंबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	24 सितंबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	14 अक्टूबर, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि/अवधि	18 अक्टूबर, 2024 से 21 अक्टूबर, 2024 तक
लिखित परीक्षा की अनन्तिम तिथि	08 दिसम्बर, 2024

- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के अन्तर्गत अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, आशुलिपिक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के कुल 257 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 14.10.2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इन पदों पर चयन प्रक्रिया 02 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी व लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अर्हकारी (Qualifying) टंकण परीक्षा एवं आशुलेखन परीक्षा होगी।
- अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अनन्तिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापित तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का सही Phone/Mobile Number व E-Mail भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in को समय-समय पर देखते रहें।

05. पदों का विवरण:- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

A- पदनाम-

अपर निजी सचिव

पदकोड-788/709/61/2024

कुल पद-03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

क्र० सं०	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं०से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अपर निजी सचिव (उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय)	अ०जा०	01	-	-	-	-	-	-	-
		अ०ज०जा०	-	-	-	-	-	-	-	-
		अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-	-	-
		आ०क०व०	01	-	-	-	-	-	-	-
		अना०	01	-	-	-	-	-	-	-
		योग	03	-	-	-	-	-	-	-

(ii) वेतनमान:- रू० 47,600-रू० 1,51,100 (लेवल-08)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष अर्हता के साथ हिन्दी व अंग्रेजी दोनों आशुलिपि (Stenography) में 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी/हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घंटे की गति।

(b) अधिमान्य अर्हतायें- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा चयन में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या भूतपूर्व सैनिक हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

B- पदनाम—**वैयक्तिक सहायक**

पदकोड—020 / 759 / 61 / 2024

कुल पद—03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं०से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	वैयक्तिक सहायक (उत्तराखण्ड सूचना आयोग)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
		अना०	02	—	—	—	—	—	—	—	
		योग	03	—	—	—	—	—	—	—	

(ii) वेतनमान:— रू० 35,400—रू० 1,12,400 (लेवल—06)**(iii) आयु सीमा:—** 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।**(iv) पद का स्वरूप:—**अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।**(v) शैक्षिक अर्हता:—****(a) अनिवार्य अर्हता:—**

1. इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता।
2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।
3. हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति।
4. अंग्रेजी आशुलिपिक एवं टंकण में प्रवीण अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(b) अधिमान्य अर्हतायें— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:—

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

C- . पदनाम-**आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक**

पदकोड-760 / 072 / 61 / 2024

कुल पद-15

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:-

क्र० सं०	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं०से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	वैयक्तिक सहायक (महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखण्ड, नैनीताल)	अ०जा०	03	01	-	-	-	-	-	-
		अ०ज०जा०	-	-	-	-	-	-	-	-
		अ०पि०व०	02	01	-	-	-	-	-	-
		आ०क०व०	01	-	-	-	-	-	-	-
		अना०	09	02	-	-	-	-	-	01
		योग	15	04	-	-	-	-	-	01

(ii) वेतनमान:- रू० 29,200-रू० 92,300 (लेवल-05)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / स्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं कम्प्यूटर परिचालन का ज्ञान रखता हो तथा टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन की गति प्रति घण्टे एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रतिमिनट तथा हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रतिमिनट होना चाहिए।

(b) अधिमान्य अर्हतायें- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

1. प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'सी' अथवा 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

D- . पदनाम—**वैयक्तिक सहायक**

पदकोड—832 / 760 / 61 / 2024

कुल पद—02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं०से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	वैयक्तिक सहायक (विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
		अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	—
		आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	—
		अना०	01	—	—	—	—	—	—	—
	योग	02	—	—	—	—	—	—	—	

(ii) वेतनमान:— रू० 29,200—रू० 92,300 (लेवल—05)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।
2. हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की और कम्प्यूटर में हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेसन प्रति घण्टा।

(b) अधिमान्य अर्हतायें—

1. कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान हो।

रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पद कोड	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों का विवरण						दिव्यांग
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	822 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल)	अ०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	01	01	—	—	—	—	—	
योग	02	01	—	—	—	—	—	—	—		
2	872 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	01	—	—	—	—	—	—	
योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	873 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	01	—	—	—	—	—	—	
योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	874 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	01	—	—	—	—	—	—	
योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	875 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	01	—	—	—	—	—	—	
योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—		

6	876 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
योग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	877 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
योग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	878 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
योग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	879 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
योग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	880 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
योग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	881 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
योग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

12	882 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—		—
			योग	01	—	—	—	—	—	—		—
13	883 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—		—
			योग	01	—	—	—	—	—	—		—
14	884 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—		—
			योग	01	—	—	—	—	—	—		—
15	885 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (स्थायी लोक अदालत, अल्मोड़ा)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—		—
			योग	01	—	—	—	—	—	—		—
16	889 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (स्थायी लोक अदालत, देहरादून)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—		—
			योग	01	—	—	—	—	—	—		—
17	890 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (स्थायी लोक अदालत, हरिद्वार)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—		—
			योग	01	—	—	—	—	—	—		—
18	891 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (स्थायी लोक अदालत, नैनाताल)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—		—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—		—
			योग	01	—	—	—	—	—	—		—

19	892 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (स्थायी लोक अदालत, पौड़ी)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	895 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (स्थायी लोक अदालत, टिहरी गढ़वाल)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	896 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (स्थायी लोक अदालत, ऊधमसिंह नगर)	अ0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ0पि0व0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अना0	01	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	01	—	—	—	—	—	—	—	—		
कुल योग			22	01	—	—	—	—	—	—	—	

(ii) वेतनमान:— रू0 29,200—रू0 92,300 (लेवल-05)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. हिन्दी आशु लेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति होनी चाहिए।

(b) अधिमान्य अर्हतायें—

1. अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 5000 की—डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा।
2. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
3. राष्ट्रीय कैडेटकोर का 'सी' अथवा 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पद कोड	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों का विवरण						
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	764/ 760/ 61/ 2024	वैयक्तिक सहायक (राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग) (राज्य आयोग संवर्ग)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	01	—	—	—	—	—	—	
			योग	01	—	—	—	—	—	—	
2	764/ 760/ 61/ 2024	वैयक्तिक सहायक (राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग) (जिला उपभोक्ता संवर्ग)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	01	—	—	—	—	—	—	
			अना०	—	—	—	—	—	—	—	
			योग	01	—	—	—	—	—	—	
कुल योग				02	—	—	—	—	—	—	

(ii) वेतनमान:— रू० 29,200—रू० 92,300 (लेवल-05)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:—अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

1- आशुलिपिक (राज्य आयोग) हेतु:—

- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण।
- आशुलेखन द्विभाषी (अंग्रेजी एवं हिन्दी) आशुलिपि अंग्रेजी में 100 तथा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर अंग्रेजी एवं हिन्दी टंकण में क्रमशः 5000 एवं 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति तथा एम०एस० ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है।

2- आशुलिपिक (जिला फोरम) हेतु:—

- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण।
- आशुलेखन हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा हिन्दी टंकण में 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति तथा एम०एस० ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है।

(b) अधिमान्य अर्हतायें— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:—

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

G- पदनाम—

वैयक्तिक सहायक

कुल पद— 207

रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र० सं०	पद कोड	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों का विवरण							
					उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं० से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	447 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी)	अ०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	04	01	—	—	—	—	—	—	
योग	04	01	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	742 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	05	01	—	—	—	—	—	—	01 OL
			अ०ज०जा०	02	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	06	01	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	03	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	17	05	—	—	01	01	01	—	
योग	33	07	—	—	01	01	01	—	—	01		
3	679 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (वन विभाग, उत्तराखण्ड)	अ०जा०	05	01	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	07	02	—	—	—	—	—	—	
योग	14	03	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	434 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (कृषि विभाग उत्तराखण्ड)	अ०जा०	03	01	—	—	—	—	—	—	—
			अ०ज०जा०	01	—	—	—	—	—	—	—	
			अ०पि०व०	01	—	—	—	—	—	—	—	
			आ०क०व०	—	—	—	—	—	—	—	—	
			अना०	—	—	—	—	—	—	—	—	
योग	05	01	—	—	—	—	—	—	—	—		

5	607 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	04	01	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	01	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	01	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	9	02	-	-	-	-	-		-
		योग	15	03	-	-	-	-	-	-		
6	664 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (सम्भागीय / उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	01	-	-	-	-	-		-
		योग	02	01	-	-	-	-	-	-		
7	664 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून)	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	03	-	-	-	-	-	-		-
		योग	04	-	-	-	-	-	-	-		
8	055 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, राजस्व विभाग)	अ0जा0	02	01	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	01	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	01	01	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	01	01	-	-	-	-	-		-
			अना0	02	02	-	-	-	-	-		-
		योग	07	05	-	-	-	-	-	-		
9	625 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग)	अ0जा0	04	01	-	-	-	-	-	01 (PB/ LV)	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	01	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	02	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	20	06	-	01	01	01	02		-
		योग	27	07	-	01	01	01	02	01		
10	454 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड)	अ0जा0	02	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	-	-	-	-	-	-	-		-
		योग	02	-	-	-	-	-	-	-		

11	744 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (कार्यालय, रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स)	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			योग	02	-	-	-	-	-	-	-	
12	438 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड)	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			योग	02	-	-	-	-	-	-	-	
13	072 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (उप श्रम आयुक्त हल्द्वानी)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			योग	01	-	-	-	-	-	-	-	
14	448 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (विभागीय लेखा उत्तराखण्ड)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			योग	01	-	-	-	-	-	-	-	
15	784 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून)	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अना0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			योग	01	-	-	-	-	-	-	-	
16	404 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (अर्थ एवं संख्या उत्तराखण्ड, देहरादून)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-	-
			योग	01	-	-	-	-	-	-	-	

17	634 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	01	-	-	-	-	-	-	-		-
18	426 / 074 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	01	-	-	-	-	-	-	-		-
19	424 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (डेरी विकास उत्तराखण्ड)	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	01	01	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	03	01	-	-	-	-	-	-		-
20	601 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	02	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	02	-	-	-	-	-	-	-		-
21	161 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (जिला पूर्ति अधिकारी टिहरी गढ़वाल)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	01	-	-	-	-	-	-	-		-
22	070 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	02	-	-	-	-	-	-	-		-

23	412 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	02	-	-	-	-	-	-	-		-
24	428 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (कारागार मुख्यालय)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	01	-	-	-	-	-	-	-		-
25	428 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग) अधीनस्थ कारागारों हेतु	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	02	-	-	-	-	-	-	-		-
26	619 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जनपद चम्पावत)	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	01	-	-	-	-	-	-	-		-
27	629 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (महिला कल्याण विभाग)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	01	01	-	-	-	-	-	-		-
			योग	01	01	-	-	-	-	-	-		-
28	422 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	01	-	-	-	-	-	-	-		-

29	671 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	09	03	-	-	-	-	01	01 PB,	
			अ0ज0जा0	02	01	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	07	02	-	-	-	-	-		01
			आ0क0व0	04	01	-	-	-	-	-		-
			अना0	27	07	-	02	02	01	-		02
			योग	49	14	-	02	02	01	-		04
30	646 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	01	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	02	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	01	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	05	02	-	-	-	-	-		-
			योग	09	02	-	-	-	-	-		-
31	406 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड)	अ0जा0	02	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	01	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	01	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	04	01	-	-	-	-	-		-
			योग	08	01	-	-	-	-	-		-
32	448 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (प्राविधिक शिक्षा विभाग)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	-	-	-	-	-	-	-		-
33	613 / 760 / 61 / 2024	वैयक्तिक सहायक (ग्रामीण निर्माण, विभाग)	अ0जा0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अ0ज0जा0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अ0पि0व0	-	-	-	-	-	-	-		-
			आ0क0व0	-	-	-	-	-	-	-		-
			अना0	-	-	-	-	-	-	-		-
			योग	-	-	-	-	-	-	-		-
कुल योग				207	47	-	04	04	03	06	03	

नोट- उपरोक्त तालिका के बिन्दु संख्या 32 तथा 33 पर अंकित नियोक्ता विभागों से आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या प्राप्त होने पर उक्त विभागों के पदों को तदनुसार सम्मिलित किया जाएगा।

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(d) अनिवार्य अर्हता:-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के साथ-साथ हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है।

(b) अधिमान्य अर्हतायें- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

1. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,
2. स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

H- पदनाम-

आशुलिपिक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर

पदकोड-020/075/61/2024

कुल पद-03

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

क्र० सं०	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या							
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं०से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	आशुलिपिक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (उत्तराखण्ड सूचना आयोग)	अ०जा०	01	-	-	-	-	-	-	-	
		अ०ज०जा०	-	-	-	-	-	-	-	-	
		अ०पि०व०	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		आ०क०व०	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अना०	02	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	03	-	-	-	-	-	-	-	-

(ii) वेतनमान:- रू० 25,500-रू० 81,100 (लेवल-04)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

1. इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता।
2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।
3. हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति।

(b) अधिमान्य अर्हतायें- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

I- पदनाम-**वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक ग्रेड-ii**

प्रदकोड-820/760/61/2024

कुल पद-02

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:-

क्र० सं०	पदनाम/ विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व०सं०से० के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक ग्रेड-ii (उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्)	अ०जा०	01	-	-	-	-	-	-	-
		अ०ज०जा०	-	-	-	-	-	-	-	-
		अ०पि०व०	01	-	-	-	-	-	-	-
		आ०क०व०	-	-	-	-	-	-	-	-
		अना०	-	-	-	-	-	-	-	-
		योग	02	-	-	-	-	-	-	-

(ii) वेतनमान:- रू० 25,500-रू० 81,100 (लेवल-04)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

1. किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा परिषद्/संस्था से इण्टरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. हिन्दी आशुलेखन में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में क्रमशः 30 शब्द टंकण की गति तथा 4000 की-डिप्रेसन प्रतिघण्टा की गति होना आवश्यक है।
3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर पर टंकण का पूर्ण ज्ञान।

(b) अधिमान्य अर्हतायें- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

1. प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

06. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया-

(i) उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घण्टे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-01 का अवलोकन करें। सामान्य व ओ०बी०सी० श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।

(ii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(iii) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) तीन प्रतियों (ट्रिप्लीकेट) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(v) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।

(vii) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/कटिंग आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(viii) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ0एम0आर0 शीट में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ0एम0आर0 शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(ix) ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर/कम्प्यूटर/टैब पर ही प्राप्त होंगे।

07. अधिमान:- लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा (आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा कनिष्ठ अभ्यर्थी बाद में आएगा), आयु के भी समान होने पर अग्रंजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा तथा अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

08. आयु:-

उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2024 है।

(क)–परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह-‘ग’ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

09. आवेदन हेतु पात्रता:—

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है:—

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र धारक हो।

(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(घ) शासन के पत्रांक-1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार “जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। “उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं, सम्मिलित हैं।”

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा

सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि, वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाएगा।

(ड.) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

10. राष्ट्रीयता:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में उपरोक्तानुसार पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

11. चरित्र:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

12. वैवाहिक प्रास्थिति:-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

13. शारीरिक स्वस्थता:-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

शासनादेश संख्या: 374(1)XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 02 नवंबर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में परिशिष्ट 2(च)में संलग्न है।

14. आरक्षण:-

- i. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।
- ii. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04%, अनाथ बच्चों हेतु 05%, कुशल खिलाड़ी के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक है, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 04 नवंबर, 2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- iv. उत्तराखण्ड की महिला अभ्यर्थियों को ऊर्ध्व श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है। उत्तराखण्ड की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- v. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vi. "भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो-(एक) अपनी पेंशन

अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- vii. शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य होनी चाहिए।
- viii. भारत सरकार की कार्यालय ज्ञाप संख्या- 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो पहले से ही राज्य सरकार की समूह 'ग' और 'घ' की सेवा में कार्यरत है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' में उच्चतर श्रेणी या संवर्ग में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ प्राप्त कर सकेंगा, यद्यपि ऐसा अभ्यर्थी राज्य सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण के लाभ के लिए अर्ह नहीं होगा।
- ix. भारत सरकार के अधिसूचना संख्या(Notification N0). 36034/5/85-Estt.(SCT) दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 के अनुसार उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व किन्तु 01 वर्ष के अन्तर्गत आवेदन करने की दशा में उन्हें भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
- x. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।
- xi. "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से अभिप्रेत है।
- xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-244/xxxvi(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा राज्य की राज्यधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।
- xiii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-117/xxxvi(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा

'कुशल खिलाड़ी' से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में हैं, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं हैं, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगा:-

क्र० स०	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल-6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
5	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलों इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल-5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रणीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।


कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी। तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम से तात्पर्या अपनी श्रेणी से है।

(xv) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा तथा आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

नोट 1:- अभ्यर्थी पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-1 तथा आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट-2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(च) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी उक्त परिशिष्टों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार ही अपने प्रमाण-पत्र तैयार करवायें।

नोट 2:- उपरोक्त पदों के चयन का विकल्प लिखित प्रतियोगी परीक्षा तथा टंकण, आशुलेखन परीक्षा समाप्ति के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।

15. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के चरण



- i. अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ई-मेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है।
- ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई-मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं यूकेएसएसएससी द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।
- iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा जाएगा।
- iv. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग-इन के लिए आवश्यक है।
- v. अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आयाम (150w×200H px) और हस्ताक्षर का आयाम (150w×100H px) को जे0पी0जी0/जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में अपलोड करना होगा।
- vi. आवेदन-पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नैट बैंकिंग/यू0पी0आई0 से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा
- vii. तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें chayanayog@gmail.com पर ई-मेल करें।
- viii. अपरिहार्य कारणों से यदि एक उम्मीदवार द्वारा एक ही या ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक से अधिक सबमिट किए गए आवेदन भरे जाते हैं, तो उसके द्वारा भरा गया अन्तिम आवेदन मान्य होगा।
- ix. यदि अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी का कटा हुआ शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।
- x. अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।

- xi. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा।
- xii. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।
- xiii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

16. शुल्क:-

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क (रु०)
01	अनारक्षित (Unreserved)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	150.00
03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाथ (ORPHAN)	00.00

17. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:-

(1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थी ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या:-79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532/2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अन्तिम तिथि तक संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

(3) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग (FIR) भी दर्ज कराया जाएगा।

(4) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(5) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(7) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(8) आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(9) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।

(10) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(11) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(12) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(13) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।

(14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(15) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।


(16) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 अधिनियमित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैल्कुलेटर, पेजर, चिप, कम्प्यूटर को प्रभावित करने का कोई उपकरण) इत्यादि उपकरण ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा। उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वाले पर उत्तराखण्ड

प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाए

(17) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए-

अ0जा0	-	अनुसूचित जाति
अ0ज0जा0	-	अनुसूचित जनजाति
अ0पि0व0	-	अन्य पिछड़ा वर्ग
अ0क0व0	-	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
अना0	-	अनारक्षित
ओ0एल0	-	एक पैर प्रभावित
एल0वी0 / पी0बी0	-	कम दृष्टि / आंशिक दृष्टिहीन


(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

परिशिष्ट-2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तराखण्ड की..... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति)
आदेश 1950(जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश
1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....
..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

.....उत्तराखण्ड के राज्य की.....पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति

उ0प्र0 लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त

है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची-2 में अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी.

दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार

उत्तराखण्ड के ग्राम.....तहसील.....नगर.....

..जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख(रुपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साइज का
प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

परिशिष्ट-2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या-4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित).....
.....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) उपयुक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :-

हस्ताक्षर.....

दिनांक :-

पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी.....

परिशिष्ट-2(च)

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या:-.....

तारीख.....

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....पहचान चिह्न.....
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक(लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(फॉल्लिज)

- i. दोनों टांगे(बी. एल.) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- ii. दोनों बांहें(बी. ए.) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
- iii. दोनों टांगे और बांहें (बी.एल. ए.) – दोनों टांगे और दोनों बांहें प्रभावित
- iv. एक टांग(ओ.एल.) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- v. एक बांह (ओ.ए.) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

- vi. पीठ और नितम्ब (बी.एच.) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन(बैठ और झुक नहीं सकते)
- vii. कमजोर मांस पेशियां (एम.डब्लू.) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि -

- i. बी. - अंधता
- ii. पी. बी. - आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- i. डी. - बधिर
- ii. पी. डी. - आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती-.....वर्षों.....महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|--|----------|
| i. एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| ii. पी.पी.- धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| iii. एल- उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| iv. के.सी.- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| v. बी- झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| vi. एस- बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| vii. एस.टी.- खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| viii. डब्लू- चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| ix. एस.ई.- देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| x. एच- सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |
| xi. आर.डब्लू.- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हां/नहीं |

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

विषय-सामान्य हिंदी (भाषा एवं साहित्य)


- अंक - 20


1. भाषा एवं हिंदी भाषा : भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखण्ड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ (कुमाँउनी, गढ़वाली, जौनसारी)।
2. लिपि एवं वर्णमाला : देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण-दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएँ।
स्वर एवं व्यंजन, हिंदी अंक।
3. हिंदी वर्तनी (स्वैलिंग) : विश्लेषण, शुद्ध-अशुद्ध, विराम चिह्न, हिंदी अंक।
4. शब्द संरचना : वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया-विशेषण, क्रिया; लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक।
5. शब्द भंडार : तत्सम, तद्भव, देशज, आगत (भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी-में आए प्रचलित शब्द), एकार्थी अनेकार्थी, विपरीतार्थी (विलोम), पर्यायवाची।
6. संधि : स्वर संधि, व्यंजन संधि।
7. वाक्य परिचय : वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य-शुद्धि।
8. अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, (परिचय एवं वाक्य प्रयोग)
9. पत्र लेखन : टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी पत्र।
10. जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग : संचार (मीडिया) के विभिन्न माध्यम, समाचारपत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, टीवी (दूरदर्शन)।
11. हिंदी कंप्यूटिंग, फॉण्ट, टाइपिंग, पेज-लेआउट।

हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय

(उत्तराखण्ड राज्य एवं एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार)

12. पद्य : कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी।
13. गद्य : राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीतांबर दत्त बड़थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहरश्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी।





भाग-2

सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन

भाग-2(क)-मानसिक योग्यता एवं तर्कशक्ति (Reasoning)

इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने, तर्क करने की योग्यता तथा दीर्घकालिक स्मृति का मापन करना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जो बौद्धिक क्रियाओं, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यता, शाब्दिक एवं अशाब्दिक तार्किक शक्ति, मूर्त एवं अमूर्त तार्किक शक्ति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तार्किक शक्ति, आरेखण, अनुदेशों को समझने तथा समानताओं व असंगतताओं का पता लगाने से सम्बन्धित हैं। जिसकी विषय वस्तु निम्नलिखित है।

अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण


1. दर्पण एवं जल प्रतिबिम्ब
2. श्रृंखला
3. सादृश्यता
4. वर्गीकरण
5. कागज मोड़ना
6. कागज काटना


7. आकृति निर्माण
8. आकृतियों की गिनती
9. सन्निहित आकृतियाँ
10. आकृतियों की पूर्ति
11. आकृति आव्यूह
12. समरूप आकृतियों का समूहीकरण

शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण

1. वर्णमाला परीक्षण
2. कूटलेखन/कूटवाचन परीक्षण
3. भिन्नता की पहचान
4. सादृश्यता
5. श्रृंखला परीक्षण
6. क्रम व्यवस्था परीक्षण
7. दिशा ज्ञान परीक्षण
8. अंक एवं समय क्रम परीक्षण
9. निगमनात्मक परीक्षण
10. रक्त सम्बन्ध परीक्षण
11. गणितीय चिन्हों को कृतिम स्वरूप प्रदान करना
12. धारणा परीक्षण
13. कथन एवं तर्क
14. वर्गीकरण
15. आलेख वेन डायग्राम

16. गणितीय संक्रियाएं
17. आठव्यूह (नैट्रिक्स)
18. बैठक परीक्षण
19. आंकड़ों की पर्याप्तता
20. इनपुट आउटपुट पासवर्ड (कम्प्यूटर से सम्बन्धित)
21. संख्या एवं अवाधि निर्धारण
22. कैलेण्डर
23. कथन, निष्कर्ष एवं निर्णयन
24. न्याय निगमन
25. पहेली परीक्षण
26. समस्या समाधान
27. सामाजिक बुद्धि (नैतिक आचार-विचार)
28. शब्द निर्माण
29. लिपिकीय क्षमता





Fundamental of Computers
Syllabus

Unit 1: Basic Concepts : Introduction to Computers, Classification and Generations of computers; Block Diagram of Computer, Hardware, Software, Firmware; Input devices, Memory and Storage Devices, Central Processing Unit, Output devices and Computer Ports, Software: System software and Application Software, Concept of Algorithm and Flowchart, Generations of Programming Languages.

Unit 2: Operating System

Concept of Operating System, Operating System : Open and Proprietary, Versions of Windows, Features of Windows Operating System, Windows Desktop, Booting, Shut Down and Standby options, Start Menu, Keyboard Shortcuts; Application Management using Control Panel, Installing and Uninstalling a software; System Tools; Disk Cleanup, Disk Fragmentation, Working with Windows Explorer; Basics of Linux

Unit 3: Software Packages Word Processing; Word processing concepts, Working with word document; Opening, Closing and saving options, Editing text, Find and replace text, Language checking and thesauruses, Formatting, spell check, Autocorrect, Autotext; Bullets and numbering, Paragraph Formatting, Indent, Page Formatting; Header and footer; Tables; Inserting and importing of tables, filling and formatting a table; Pictures and Video; Mail Merge; Printing documents; Keyboard Shortcuts

Spreadsheet; Spreadsheet concepts, Managing worksheets, Formatting of Worksheets and Cells, Entering data, Editing; Printing a worksheet; Organizing Charts and graphs; Formulas and Functions; Handling operators in formula; generally used Spreadsheet functions; Mathematical, Statistical, Financial, Logical, Date and Times; Keyboard Shortcuts

Presentation Software; Introduction and creation of the presentation, Use of Templates; Adding new slide, Navigating across slides; Use of Master Slide, slide show, Saving and Opening of presentation, Text formatting options, Copy, Move, Delete slides, Applying designs, Using Animations, Slide Transitions, Insert clip art, Insert sound/movies, Viewing the presentation; Taking printout of presentation/Handouts; Keyboard Shortcuts.

Unit 4: Working with Internet

Basics of Computer Network and Internet, Working with Internet, ISP, Web Browsers, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator (URL) and Domain Names, Uses of Internet, Concept of Search Engines, IP Address, Applications of Internet, Chatting, Video-Conferencing, Email; Manage an E-mail Account, E-mail Address, configure E-mail Account, log to an E-mail, Sending and Receiving e-mails, sending files as attachments, Address Book; Uploading/ Downloading Files, Net Etiquettes. Social impact of ICT in Education, health care and Governance

Unit 5: Cyber Security Virus, Worms, Trojan and Anti-Virus software, Spyware, Malware, Spams, Data Backup and Recovery Tools, Indian IT ACT, Types of Cyber Crime; firewall, Cookies, Hackers and Crackers, Cyber Security Techniques; Authentication, Encryption, Digital Signatures, Anti-Virus, Firewall, Steganography.

Signature

Signature

भाग-2(ख)-इतिहास (भारत एवं विश्व)

प्राचीन भारतीय इतिहास

सिन्धु घाटी सभ्यता- नामकरण; सामाजिक व आर्थिक स्थिति; नगर योजना व भवन निर्माण।

वैदिक सभ्यता- पूर्व वैदिक काल; सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति; राजनीति, साहित्य व धर्म।

उत्तर वैदिक काल- सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन; साहित्य व धर्म।

महाकाव्य काल- रामायण व महाभारत कालीन समाज व राजनीति।

जैन व बौद्ध धर्म- स्थापना, शिक्षाएँ व विस्तार।

मौर्यकाल- मौर्यवंश की स्थापना; चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक व उसके धर्म; मौर्यकालीन प्रशासन, समाज व कला।

उत्तर मौर्य काल- पारसी, यूनानी, शक व कुषाण संपर्क तथा उसके सांस्कृतिक प्रभाव; शुंग व अंग्र सातवाहन वंश।

गुप्त साम्राज्य- गुप्तकालीन शासक; प्रशासन, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान व संस्कृति।

उत्तर गुप्त काल- हर्षवर्धन; राजपूत शासक; चोल व पल्लव साम्राज्य; 800-1200 के मध्य भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास एवं अन्य पहलू।

अरब व तुर्की आक्रमण- इस्लाम की स्थापना; मुहम्मद-बिन कासिम, महमूद गजनवी व गौरी के आक्रमण।

मध्यकालीन भारतीय इतिहास

दिल्ली सल्तनत- गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद व लोदी वंश, प्रशासन, समाज, साहित्य, कला व स्थापत्य, आर्थिक नीति, साम्राज्य विस्तार व अन्य नीतियाँ।

भक्ति आन्दोलन व सूफी आन्दोलन- मुख्य संत व उनके प्रभाव।

बहमनी व विजयनगर राज्य- मुख्य शासक व उनकी उपलब्धियाँ, साहित्य, कला व संस्कृति पर प्रभाव।

मुगल काल- मुगल शासक व शेरशाह सूरी, मुगल प्रशासन व नीतियाँ- मनसबदारी व्यवस्था, धार्मिक व राजपूत नीति, कला, साहित्य व स्थापत्य, शेरशाह सूरी का प्रशासन।

मराठा व सिख- मराठा राज्य व इनके मुगलों से सम्बन्ध; सिख गुरु व इनके मुगलों के साथ सम्बन्ध।

आधुनिक काल

यूरोपियों का भारत में आगमन- पुर्तगाली, डच व फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी- (1767-1858)- भारत में साम्राज्य विस्तार; आर्थिक नीति व उसके प्रभाव; प्रशासनिक नीतियाँ; गवर्नर व गवर्नर जनरल; चार्टर एक्ट व अन्य एक्ट; सामाजिक सुधार।

ब्रिटिश शासन (1858-1947)

1857 का विद्रोह- कारण, मुख्य घटनाएँ व प्रभाव।

ब्राह्मसंघ व उनकी नीतियाँ।

भारतीय समाज में सामाजिक व धार्मिक सुधार आन्दोलन।

भारत में राष्ट्रवाद का विकास

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कारण।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना; उदारवादी व अतिवादी दल।

लार्ड कर्जन व उसकी नीतियाँ।

बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आन्दोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन (1907), माल्टो सुधार (1909)।

प्रथम विश्वयुद्ध और राष्ट्रीय आन्दोलन- होमरूल आन्दोलन, लखनऊ समझौता (1916), 1917 की अगस्त घोषणा, गांधी युग, भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम (1919), रॉलेट अधिनियम (1919), जलियाँवालाबाग नरसंहार (13 अप्रैल 1919), खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौराचौरी की घटना, राजगज कर्जी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेत सम्मेलन, गांधी हरविन समझौता, द्वितीय व तृतीय गोलमेत सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड व पूना समझौता।

R. D. S.

[Handwritten Signature]

भारत सरकार अधिनियम(1936)—पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आन्दोलन, कैबिनेट मिशन, आहिन्द फ्रोंज, अन्तरिम सरकार, माउन्टबेटेन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम(1947), भारत का विभाजन, आजादी बाद के भारत की मुख्य घटनाएँ।

विश्व का इतिहास


यूरोप में पुनर्जागरण व उससे सम्बन्धित मुख्य साहित्यकारों, कलाकारों व वैज्ञानिकों का योगदान।
ब्रिटेन के राजवंश— हेनरी अष्टम, एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय तथा विक्टोरिया के समय की मुख्य घटनाएँ।
फ्रांसीसी क्रान्ति।
अमरीका का स्वतंत्रता संग्राम।
रूसी क्रान्ति।
प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों के मुख्य कारण।

भाग-2(ग)—भूगोल (भारत एवं विश्व)

विश्व का भूगोल :- विविध शाखाएँ, सौर मण्डल की उत्पत्ति, अक्षांश-देशान्तर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, ग्रहण महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति, उच्चावच्च, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह तन्त्र, जलमण्डल : समुद्री लवणता, समुद्री धाराएँ, ज्वार भाटा, वायुमण्डल : वायुमण्डल की परतें, संरचना, तापमान, हवाएँ, चक्रवात, आर्द्रता, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियाँ एवं जनजातियाँ, परिवहन, वैश्विक तापन, व्यापार (क्षेत्रीय आर्थिक समूह) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ।

भारत का भूगोल :- भौगोलिक परिचय, उच्चावच्च एवं संरचना, जलवायु, प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी, एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कृषि : फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनजाति, प्रवास, परिवहन, संचार, विदेश व्यापार, अधिवास, जनजाति, पर्यावरणीय संकट : हवा, पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन : कारण एवं प्रभाव।





भाग-2(घ)-राजनीति विज्ञान

(1) राष्ट्रीय आन्दोलन

(अ) राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण

- (i) भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान
 - (क) राजा राममोहन राय एवं ब्रह्मसमाज
 - (ख) महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं आर्य समाज
 - (ग) स्वामी विवेकानन्द एवं राम कृष्ण मिशन
- (ii) भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ
- (iii) सन् 1857 का भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम
- (iv) भारत में छापेखाने का प्रारम्भ
- (v) भारत का आर्थिक शोषण
- (vi) भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना, 1885
- (vii) बंगाल का विभाजन, 1905
- (viii) स्वातन्त्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की 'आभिनव-भारत' संस्था

(ब) असहयोग आन्दोलन

- (क) प्रथम विश्वयुद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव
- (ख) एम0के0 गाँधी का भारत आगमन
- (ग) रौलेट अधिनियम
- (घ) जलियाँवाला बाग नरसंहार(13 अप्रैल 1919)
- (ङ) असहयोग आन्दोलन
 - (i) सकारात्मक पहलू
 - (ii) नकारात्मक पहलू
- (च) असहयोग आन्दोलन की असफलता के कारण

(स) सविनय अवज्ञा आन्दोलन

- (क) साइमन कमीशन
- (ख) नमक सत्याग्रह- दाँडी कूच
- (ग) नैहरू रिपोर्ट
- (घ) पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव

(द) भारत छोड़ो आन्दोलन


- (क) द्वितीय विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव
- (ख) सुभाष चन्द्र बोस और आज़ाद हिन्द फौज
- (ग) अगस्त-क्रांति, 1942
- (घ) भारत छोड़ो आन्दोलन की असफलता के कारण


(य)

- (क) मुस्लिम लीग और उसकी माँगें
- (ख) कैबिनेट मिशन योजना
- (ग) माउण्टबेटेन योजना
- (घ) भारत विभाजन के कारण

(2) गाँधीवाद (Gandhism)

(क) गाँधी जी के राजनीतिक विचार





- (i) अहिंसा (ii) सत्य (iii) सत्याग्रह (iv) राजनीति का आध्यात्मिककरण
(v) राम-राज्य का विचार

(ख) गाँधी जी के सामाजिक विचार

- (i) सर्वोदय की अवधारणा
(ii) अछूतोंद्वारा एवं अस्पृश्यता-निवारण
(iii) 'हरिजन' की अवधारणा

(ग) गाँधी जी के आर्थिक विचार

- (i) अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार
(ii) संरक्षता का सिद्धान्त
(iii) स्वावलम्बन
(iv) कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था
(v) विकेंद्रित अर्थव्यवस्था

(3) भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity)

(क) भारतीय संविधान की विशेषताएँ

- (i) लोकतान्त्रिक व्यवस्था
(ii) गणतान्त्रिक व्यवस्था
(iii) 'सर्व-धर्म समभाव' की अवधारणा
(iv) सहयोगी संघवाद
(v) मौलिक अधिकारों का समावेश

(ख) मौलिक अधिकारों की अवधारणा

समानता- स्वतंत्रता- धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार-संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था व उसका महत्त्व।

(ग) मौलिक कर्तव्य

नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का महत्त्व, सामाजिक सहकार व वैज्ञानिक सोच का विकास, पर्यावरण-संरक्षण, नारी की गरिमा का सम्मान, बचपन का संरक्षण, राष्ट्रीय एकता व अखंडता

(घ) नीति निदेशक तत्व (आधारभूत अवधारणाएँ) :-

उदारवादी, गाँधीवादी, समाजवादी तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व


की अवधारणा


भारतीय संसद

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि-निर्माण प्रक्रिया, अध्यादेश, आपात्कालीन स्थिति में संसदीय व्यवस्था पर प्रभाव, प्रधानमंत्री, मन्त्रिपरिषद्-अधिकार व शक्तियाँ, प्रधानमंत्री व मन्त्रिपरिषद् पर संसदीय नियन्त्रण

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

गठन, कार्यप्रणाली, शक्तियाँ, न्यायापालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन





नागरिकता

भारत की नागरिकता प्राप्त करने की दशाएँ
नागरिकता का लोप होने की दशाएँ

राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल

राष्ट्रीय दल का स्तर प्राप्त होने की दशाएँ

क्षेत्रीय दल की विशेषताएँ

क्षेत्रीय दल का महत्व एवं भूमिका

भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रावधान, आरक्षण की समस्या, आरक्षण की उपयोगिता, आरक्षण के प्रावधानों की कमियाँ

पंचायतीराज (स्थानीय स्वशासन)

शहरी स्थानीय स्वशासन

(1) नगर निगम (2) नगर पालिका

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन की संरचना, कार्य-प्रणाली एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

उत्तराखण्ड का पंचायतराज अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम (2005)

(4) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र संघ-संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, महासभा, सुरक्षा परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियाँ, विश्व शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका

पर्यावरण- वैश्विक तापन की समस्या, निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, प्रदूषण की समस्या, निदान एवं समाधान हेतु प्रयास

मानवाधिकार

मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा

मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास

शस्त्रों की होड़

शस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करने हेतु यू0एन0ओ0 के प्रयास



भूमण्डलीकरण

भूमण्डलीकरण की आवश्यकता, गुण एवं अवगुण

दक्षिण-एशिया

दक्षिण-एशिया की समस्याएँ

सार्क (SAARC) -संगठन, उद्देश्य, उपलब्धियाँ एवं समस्याएँ




भाग-2(ख)-अर्थशास्त्र

भारतीय अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषतायें, जनांकिकीय प्रवृत्तियाँ, भारतीय कृषि की विशेषतायें- उत्पादन एवं विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास एवं समस्यायें, लघु उद्योग, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्योग-विकास व समस्यायें, नीति, नीति आयोग, मुद्रा एवं वित्त, नई आर्थिक नीति, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनायें, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार-प्रवृत्ति एवं दिशा, भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन।

भाग-2(च)-राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ

विश्व के देश, महाद्वीप पर प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रम विश्व के धर्म, विश्व के आश्चर्य, भारतीय राज्य, भारत/विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, कम्प्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियां, प्रमुख दररे, प्रमुख सागर-महासागर, विश्व के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषायें विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, प्रमुख खेल एवं सम्बन्धित शब्दावली, सम्मेलन/प्रदर्शनी/कान्फ्रेंस, प्रमुख रिपोर्ट और राजनीतिक घटनाक्रम।





उत्तराखण्ड से संबंधित विविध जानकारियाँ

1. उत्तराखण्ड का भौगोलिक परिचय: स्थिति एवं विस्तार, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीले, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, भूदा संसाधन, जनसंख्या
2. उत्तराखण्ड का इतिहास :- ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के उपरान्त प्रमुख राजवंश यथा- कत्यूरी शासन काल, चन्द्र शासन, गोरखा, पंवार एवं ब्रिटिश शासन इत्यादि, स्वतन्त्रता संग्राम में उत्तराखण्ड की भूमिका, प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी एवं विभूतियाँ, उत्तराखण्ड के विविध आन्दोलन यथा कुली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी, स्वतन्त्रता के उपरान्त के आन्दोलन चिपको, नशा नहीं रोजगार दो एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के विविध पक्ष, पृथक उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन एवं अद्यतन राजनैतिक घटनाक्रम
3. उत्तराखण्ड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परम्परागत जल स्रोत यथा नौला, धारा, पोखर, चाल-खाल, गाड़-गधेरा; सिंचाई के परम्परागत साधन यथा गूल, नहर, नलकूप, हैण्डपम्प एवं विविध सिंचाई योजनायें, नदी घाटी परियोजनाएं; उत्तराखण्ड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्यायें।
4. उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था :- कृषि, प्रमुख फसलें, व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्यायें, उद्यान, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, नछकी पालन इत्यादि, लघु व कृटीर उद्योगों की वर्तमान दशा यथा ऊत, काष्ठ, लौह, ताम्र उद्योग इत्यादि, उत्तराखण्ड में विभिन्न उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की वर्तमान दशायें, रोजगार की प्रवृत्तियाँ, पलायन का संकट
6. उत्तराखण्ड का सांस्कृतिक पक्ष :- परंपरा, रहन-सहन, भाषा-बोली, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत।
6. उत्तराखण्ड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनकिकी, उत्तराखण्ड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बन्दोबस्त, लगान एवं रैतवाड़ी, राजस्व पुलिस व्यवस्था
7. उत्तराखण्ड में शिक्षा: सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा की दशाएँ एवं तत्सम्बन्धित समस्यायें।
8. उत्तराखण्ड में पर्यटन :- धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएँ यथा चार धाम यात्रा, नन्दा राजजात, आध्यात्मिक यात्राएँ इत्यादि, प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, साहसिक पर्यटन यथा पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ट्रेकिंग इत्यादि, रेल, वायु तथा सड़क परिवहन एवं तत्संबन्धित समस्यायें।
9. उत्तराखण्ड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दशायें, जल एवं वायु प्रदूषण, बाढ़ फटना, निर्वनीकरण, वनाग्नि, बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदायें एवं पारिस्थितिकीय दशाएँ।
10. राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था व महत्वपूर्ण योजनायें/पहलें।
11. राज्य द्वारा जारी सांख्यिकीय आकड़े तथा उससे संबंधित विषय।
12. उत्तराखण्ड में जैव विविधता।
13. अन्य विविध विषय।

Signature

Signature